न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 3/2015 जिला सीकर

1. महेन्द्र सिहं पुत्र स्व. श्री संता सिंह , उम्र 65 वर्ष, जाति मजहबी सिक्ख, निवासी– ढाणी चौधरी ख्यालीराम, काजला, ग्रम सूरेवाला, तहसील टी.बी. जिला हनुमानगढ ।
2. श्रीमती अनीता सन्गत पत्नी श्री अशोक सन्गत, जाति हरिजन, निवासी 82, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मीरा पुत्री गणपत पत्नी श्री रक्षपाल, उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल ससुराल ग्रम हनुतपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. आंची पुत्री गणपत पत्नी मदन लाल, उम्र 31 साल, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल ससुराल ग्रम किशनगढ रेनवाल, तहसील सांभर जिला जयपुर ।
3. छोटी पुत्री गणपत पत्नी श्री बालूराम , उम्र 33 साल जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ ।
4. पांची पुत्री गणपत पत्नी श्री शंकर लाल , उम्र 31 साल, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल ससुराल दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
5. मंगली पुत्री हनुमान पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद, उम्र 46 साल, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल ससुराल ग्रम चौकडी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
6. प्रेम पुत्री हनुमान पत्नी पुरूषोतम, उम्र 50 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल ससुराल किशनगढ रैनवाल, तहसील सांभर, जिला जयपुर ।
7. कृष्ण कुमार , उम्र 33 वर्ष
8. राजेन्द्र कुमार , उम्र 31 वर्ष

   पुत्रगण स्व. राम लाल जाति रैगर, निवासीगण मकसर तहसील मकसर जिला फरीदकोट (पंजाब)
9. विमला देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री रूपलाल उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल निवासी ससुराल संगरूर (पंजाब)
10. कमला देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री रामकुमार उम्र 44 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल निवासी ससुराल कोर्टकपुरा जिला फरीदाबाद (पंजाब)

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

11. लाली देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री किशोरी लाल उम्र 42 वर्ष जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल निवासी ससुराल अबोर जिला फरोजपुर (पंजाब)
12. सीमा देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री औम प्रकाश, उम्र 40 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल निवासी ससुराल डब्बाली एलनाबाद (पंजाब)
13. आशा देवी पुत्री स्व. रामलाल पत्नी श्री रमेश, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, निवासी पितृगृह ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, हाल निवासी ससुराल डब्बाली एलनाबाद (पंजाब)
14. रूघाराम उम्र 51 वर्ष (मृतक दौराने अपील) पुत्र स्व. गणपतराम
    14/1 लाडा देवी पत्नी स्व. रूघाराम
    14/2 जयराम पुत्र स्व. रूघाराम
    14/3 बनवारी पुत्र स्व. रूघाराम
    14/4 प्रेम पुत्र स्व. रूघाराम
    समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
15. लूणाराम उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व. गणपतराम
16. रामावतार उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व. गणपतराम
17. मालीराम पुत्र स्व. गणपतराम
18. श्याम लाल पुत्र स्व. हनुमान, जाति रैगर
19. पप्पु पुत्र स्व. हनुमान, जाति रैगर
20. सज्जन पुत्र स्व. हनुमान, जाति रैगर
21. लिक्ष्मण पुत्र स्व. हनुमान, जाति रैगर
22. मदन लाल पुत्र स्व. हनुमान, जाति रैगर
    निवासीयान शिश्यू , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
23. ग्रम पंचायत शिश्यू जरिये सरपंच ग्रम पंचायत शिश्यू, पंचायत समिति पिपराली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 20.5.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रताप सिंह सिरोही
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री हंसराज कुलदीप

निर्णय

दिनांक –5.2.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.5.2013 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 23.12.2014 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थिति आराजी हाल खसरा नम्बर 2480/3423 रकबा 0.50 है., 2482/3424 रकबा 0.03 है., 2590 रकबा 0.38 है. व 2896 रकबा 2.97 है., कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 है. जिनके साबिक खसरा नम्बर 1368/3, 1372/3, 1368/1 व 1372/1 अवस्थित थे । उक्त आराजी के खातेदार गणपत , हनुमान व रामदेवा पुत्रान खेमा थे । उक्त खातेदारों में से गणपत के वारिसासन – रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 रूघाराम, रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 लूणाराम, रेस्पोंडेन्ट संख्या 16 रामावतार, अपीलान्ट संख्या 1, 2, 3 एवं 4 मीरा, आंची, छोटी, पांची है एवं रूघाराम के फौत होने से उसके वारिस लाडा देवी पत्नी स्व. रूघाराम, जयराम, बनवारी, प्रेम पुत्रान स्व. रूघाराम रेस्पोंडेन्ट संख्या 14/1 से 14/4 है तथा खातेदार हनुमान के वारिसान– रामलाल, मालीराम, श्याम लाल, पप्पू, सज्जन, लिछमण, मदन लाल, मंगली, प्रेम हैं जिनमें से रामलाल के फौत होने पर उसके वारिस कृष्ण कुमार, राजेन्द्र कुमार, विमला देवी, कमलेश देवी, लाली देवी, सीमा देवी, आशा देवी है । खातेदार गणपत व हनुमान की फौतगी पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1229 ग्रम पंचायत शिश्यू द्वारा खातेदार गणपत के वारिसान रूघाराम, लूणाराम व रामावतार पुत्रान गणपत के नाम व खातेदार हनुमान के वारिसान राम लाल, श्याम लाल, मालीराम, पप्पू, सज्जन, लिछमण, मदन लाल पुत्रान हनुमान व बरजी बेवा हनुमान के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 1229 से व्यथित होकर मृतक खातेदार गणपत की पुत्रियों एवं मृतक हनुमान की पुत्रियों व रामलाल के पुत्र – पुत्रियों द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.5.2013 द्वारा जमाबन्दी संवत 2018–21 ग्रम शिश्यू के अवलोकन से स्पष्ट माना कि विवादित आराजियात की खातेदारी पूर्व में खेमा वल्द मोती व गणपत वल्द खेमा के नाम रही है । खेमा की मृत्यु के पश्चात विरासत नामांतरकरण संख्या 349 से खेमा के स्थान पर हनुमान, गणपत, रामदेव पि. खेमा व गणपत पुत्र खेमा के नाम दर्ज हुई , जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पैतृक भूमियॉ रही है एवं पैतृक सम्पत्तियों में सभी वारिसान का बराबर हक व हिस्सा कानूनन है । मृतक गणपत व हनुमान की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1229 द्वारा ग्रम पंचायत शिश्यू के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक गणपत व हनुमान का कुर्सीनामा बनाकर विरासत का नामांतरकरण

भरा गया है जिस पर सरपंच, ग्रम पंचायत , शिश्यू द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलान्ट संख्या 1 से 6 का नाम हटाकर शेष के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 1229 तस्दीक सरपंच, ग्रम पंचायत शिश्यू दिनांक ''निल'' खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया गया कि बाद जॉच विरासत नामांतरकरण पुनः भरवाकर तस्दीक करें ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.5.2013 से व्यथित होकर विवादित भूमि के क्रेतागण महेन्द्र सिंह व अनिता सन्गत द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.5.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की

अपील प्रस्तुत होने पर अपील में दिनांक 11.2.2015 को वकील अपीलार्थी को बहस एडमीशन पर सुन कर प्रकरण श्रवण योग्य होने से विचारार्थ ग्रहण किया जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन पर वकील अपीलान्ट को सुना जाकर स्थगन इस प्रकार स्वीकार किया गया कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.3.2015 तक राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत मेन्टेन रखी जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त आदेश दिनांक 11.2.2015 के खिलाफ मीरा पुत्री गणपत द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 15.11.2016 द्वारा निगरानीधीन आदेश अंतरिम प्रकृति का होने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2016 में अपनाई गई प्रकिया विधिसम्मत नहीं मानी क्योंकि उनके समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, ऐसी स्थिति में उन्हें पहले भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करना चाहिये था । उनके द्वारा पारित किया गया आदेश अविधिक होने से धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश को अपास्त किया जाना उचित समझते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2015 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि वे उभयपक्ष की बहस भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनकर उसका निस्तारण करें तब तक विवादित सम्पत्ति के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से

कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 महेन्द्र सिंह द्वारा विवादित भूमि में से लूणाराम , रामावतार पुत्रान गणपत का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2012 से क्रय कर लिया था एवं अपीलार्थी संख्या 2 अनिता द्वारा विवादित भूमि में से रामेश्वर , बाबू लाल व दिनेश का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.3.2012 से क्रय कर लिया था । रामेश्वर, बाबूलाल व दिनेश विक्रेताओं द्वारा विवादित भूमि श्याम लाल, मालीराम, सज्जन, मदन, लक्ष्मण, बरजी, नाथी, सोनू, राजू से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2001 से क्रय की थी । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता है एवं क्रय की गई भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स, जो कि प्रभावित पक्षकार थे, को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण को चुनौती दी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छिपाया गया है कि खातेदार खेमा के पश्चात् नामांतरकरण उसके तीन पुत्र हनुमान, गणपत व रामदेव के पक्ष में खोला था एवं विवादित सम्पत्ति रामदेव के नाम भी अभिलिखित थी । तीनों के मध्य बंटवारे का वाद न्यायालय में चला था जिसमें राजीनामें की डिक्री के फलस्वरूप गणपत एवं हनुमान के हक में भूमि आई थी । सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा बंटवारे की डिक्री दिनांक 5.9.2001 के आधार पर रामलाल, श्याम लाल, मालीराम, सज्जन, मदन, लक्ष्मण, बरजी एवं रामलाल के वारिसान नाथी, सोनू, राजू के हक में आई थी , जिनके द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 को विक्रय कर दिया तथा 1/2 हिस्से में से लूणाराम व रामोतार का हिस्सा अपीलार्थी संख्या 1 ने क्रय किया है । अपीलार्थीगण को भूमि बेचान के पश्चात् मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित कराया है , जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1229 दिनांक 16.5.86 को भरे जाने का उल्लेख है , लेकन अपीलाधीन आदेश में नामांतरकरण की दिनांक निल दिखाकर नामांतरकरण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता होने से आवश्यक पक्षकार थे, लेकिन उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में उनका कहना था कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी । सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान 23.11.2014 को प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में पटवारी से मिलने पर हुआ ओर दिनांक 23.11.2014 को ही आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.11.2014 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की और अपने अधिवक्ताओं से सलाह मशविरा कर अपील दिनांक 23.12.2014 को जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत करदी थी । उनका कहना था कि अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में स्थगन के संबंध उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रषित किये जाने से पक्षकारान में अनावश्यक मुकमेबाजी को

अपील के स्तर पर ही रोकने हेतु अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था , यदि ऐसा नहीं किया गया तो अपीलार्थीगण का अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा एवं अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र, अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर दिनांक 20.5.2013 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर पक्षकारों को सुनकर मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित करना चाहिये । अपीलान्ट्स को प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का प्रारम्भ से ही ज्ञान था । मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना में उल्लेखित तथ्य कपोल कल्पित एवं झूठे हैं । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदारान की विरासत का है । अपीलान्ट्स मृतक खातेदारों के वारिस नहीं होने से उन्हें विरासत के नामांतरकरण के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या मिग/एलआर/2960/2012 / सीकर उनवानी श्याम लाल बनाम बाबू लाल में निर्णय दिनांक 8.5.2013 पारित किया है कि प्रकरण में कानूनी प्रावधानों के विपरीत इकरारनामें के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने एवं बाद में उसका एकतरफा में पुनरावलोकन करने तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी न्यायिक प्रावधानों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किये जाने को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी प्रकार के अधिकार क्रेता को प्रदान नहीं कर सकते । प्रकरण में प्रारम्भ से हुई समस्त कार्यवाही ही अनुचित एवं अवैधानिक होकर बिना क्षेत्राधिकार के मानते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 27.3.2012 , अति. कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 9.1.2012 , तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 11.11.2011 एवं 26.12.2011 तथा नामांतरकरण संख्या 1689 दिनांक 16.11.2011 निरस्त किये गये तथा राजस्व अभिलेख की इससे पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया । उनका कहना था कि प्रकरण राजस्व मण्डल के स्तर से निर्णित होने की स्थिति में इसन्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट्स विवादित भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से विधिवत क्रेता होने से अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 20.5.2013 निरस्त कराना चाहते हैं । रेस्पोंडेन्ट्स मृतक खातेदार गणपत व हनुमान की पुत्रियॉ व अन्य वारिसान थे जिन्हें गणपत व हनुमान की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1229 में ग्रम पंचायत शिश्यू द्वारा छोडकर केवल पुत्रों के नाम तस्दीक करने से प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ उनकी अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2013 द्वारा जमाबन्दी संवत 2018–21 ग्रम शिश्यू के अवलोकन से स्पष्ट माना कि विवादित आराजियात की खातेदारी पूर्व में खेमा वल्द मोती व गणपत वल्द खेमा के नाम रही है । खेमा की मृत्यु के पश्चात विरासत नामांतरकरण संख्या 349 से खेमा के स्थान पर हनुमान, गणपत, रामदेव पि. खेमा व गणपत पुत्र खेमा के नाम दर्ज हुई , जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पैतृक भूमियॉ रही है एवं पैतृक सम्पत्तियों में सभी वारिसान का बराबर हक व हिस्सा कानूनन है । मृतक गणपत व हनुमान की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1229 द्वारा ग्रम पंचायत शिश्यू के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक गणपत व हनुमान का कुर्सीनामा बनाकर विरासत का नामांतरकरण भरा गया है जिस पर सरपंच, ग्रम पंचायत , शिश्यू द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलान्ट संख्या 1 से 6 का नाम हटाकर शेष के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 1229 तस्दीक सरपंच, ग्रम पंचायत शिश्यू दिनांक ''निल'' खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया गया कि बाद जॉच विरासत नामांतरकरण पुनः भरवाकर तस्दीक करें , के खिलाफ विवादित भूमि के क्रेता महेन्द्र सिंह वगैहरा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में दिनांक 11.2.2015 को स्थगन आदेश आगामी पेशी दिनांक 18.3.2015 तक राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत मेन्टेन रखी जाने का स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 15.11.2016 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2015 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि वे उभयपक्ष की बहस भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनकर उसका निस्तारण करें तब तक विवादित सम्पत्ति के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 8.5.2013 उनवानी श्याम लाल बनाम बाबू लाल की फोटो प्रति पेश की जिसके अनुसार विवादित भूमि में से बाबू लाल, दिनेश कुमार एवं रामेश्वर चौहान द्वारा बरजी बेवा हणमान, श्याम लाल, पप्पू, मालीराम, सज्जन, लिछमण, मदन पुत्रगण हणमान , नाथी बेवा रामलाल से उनके हिस्से की भूमि जरिये इकरानामा क्रय किये जाने के संबंध में प्रकरण में कानूनी प्रावधानों के विपरीत इकरारनामें के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने एवं बाद में उसका एकतरफा में पुनरावलोकन करने तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी न्यायिक प्रावधानों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किये जाने को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी प्रकार के अधिकार क्रेता को प्रदान नहीं कर सकते । प्रकरण में प्रारम्भ से हुई समस्त कार्यवाही ही अनुचित एवं अवैधानिक होकर बिना क्षेत्राधिकार के मानते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 27.3.2012 , अति. कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 9.1.2012 , तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 11.11.2011 एवं 26.12.2011 तथा नामांतरकरण संख्या 1689 दिनांक 16.11.2011 निरस्त किये गये तथा राजस्व अभिलेख की इससे पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश पारित किया है । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय के खिलाफ बाबू लाल की एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 8359/2013 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.4.2014 द्वारा खारिज हो चुकी है एवं इसके खिलाफ बाबू लाल की डी.बी. सिविल सिट पीटिशन संख्या 769/2014 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.9.2014 से खारिज हो चुकी है । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश 2 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता , प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये स्वीकार किये जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार गणपत व हनुमान थे । अपीलान्ट संख्या 1 महेन्द्र सिंह ने भूमि गणपत के वारिसान लूणाराम, रामोतार पि. गणपतराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है । खातेदार हनुमान के वारिसान से भूमि जरिये इकरारनामा बाबू लाल, रामेश्वर व दिनेश ने क्रय की थी एवं तहसीलदार दांतारामगढ ने आदेश दिनांक 11.11.2011 पारित कर नामांतरकरण संख्या 1689 दिनांक 16.11.2011 क्रेता बाबू लाल, रामेश्वर व दिनेश के नाम तस्दीक कर दिया एवं तहसीलदार दांतारामगढ ने पुनरावलोकन आदेश दिनांक 26.12.2011 पारित कर पूर्व आदेश दिनांक 11.11.2011 को निरस्त कर दिया । अपीलान्ट संख्या 2 श्रीमती अनिता ने भूमि बाबू लाल, रामेश्वर व दिनेश से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है । अपीलान्ट्स संख्या 1 व 2 विवादित भूमि के क्रेता है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट संख्या 2 श्रीमती अनिता ने जिन विक्रेताओं बाबू लाल, रामेश्वर व दिनेश से भूमि क्रय की है , के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल , अजमेर ने श्याम लाल बनाम बाबू लाल उनवानी निगरानी संख्यां निग/एलआर/2960/2012 /सीकर में निर्णय दिनांक 8.5.2013 से बाबू लाल वगैहरा द्वारा इकरारनामें से क्रय की गई विवादित भूमि के संबंध में समस्त कार्यवाही ही अनुचित एवं अवैधानिक होकर बिना क्षेत्राधिकार के मानते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 27.3.2012 , अति. कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 9.1.2012 , तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 11.11.2011 एवं 26.12.2011 निरस्त किये जाकर राजस्व अभिलेख की इससे पूर्व की स्थिति कायम की गई है । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय के खिलाफ बाबू लाल की एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 8359/2013 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.4.2014 से खारिज हो चुकी है एवं इसके खिलाफ बाबू लाल की डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 763/2014 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.9.2014 से खारिज हो चुकी है ।

चूंकि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से क्रय की है । अतः अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता होने से प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है । प्रकरण में खातेदार गणपत व हनुमान की विरासत के नामांतरकरण संख्या 1229 के खिलाफ मीरा पुत्री गणपत वगैहरा की अपील में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2013 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1229 दिनांक निल खारिज किया जाकर प्रकरण बाद जॉच विरासत का नामांतरकरण पुनः भरवाकर तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया है । इस संबंध में हम समझते हैं कि प्रकरण तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.5.2013, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.4.2014 एवं 23.9.2014 को भी दृष्टिगत रखते हुये विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर को अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 20.5.2013 के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.5.2013, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.4.2014 एवं

23.9.2014 को भी दृष्टिगत रखते हुये विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर